1	2
11/02/25	प्रकरण पेश। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2025 प्राप्त हुआ है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, दुर्ग द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार है:– ग्राम कसारीडीह प.ह.नं. 40 तहसील व जिला दुर्ग खसरा नं. 985/5 रकबा 0.0372 भूमि पर चर्च के दीवाल से लगा 01 शीशम वृक्ष स्थित है, जिसके गिरने एवं जनहानि होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्ष को कटाई किया जाना, प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम कसारीडीह प.ह. नं. 40 तहसील व जिला दुर्ग खसरा नं. 985/5 रकबा 0.0372 भूमि पर चर्च के दीवाल से लगा 01 शीशम वृक्ष स्थित है, जिसके गिरने एवं जनहानि होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्ष को जनहित में काटा जाना उचित प्रतीत होता है। छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा–240/241 में दिये गये प्रावधानों के तहत् तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की अधीसूचना दिनांक 11.02.2022 एवं दिनांक 09.09.2022 को तैयार किये गये वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के तहत् वृक्ष कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रदाय किया जाना है। अतएव उपरोक्त आधार पर तथा वृक्ष कटाई अधिनियम 2022 में निर्मित नियम 03 (छः), 07 (2,3,4,5) व 08 (1,2) के तहत् आवेदक Fr. Augustine, Parish St. Vincent De Paul Church, Add- Padmanabhpur Durg तहसील व जिला दुर्ग (छ0ग0) को ग्राम कसारीडीह प.ह.नं. 40 तहसील व जिला दुर्ग खसरा नं. 985/5 रकबा 0.0372 भूमि पर चर्च के दीवाल से लगा 01 शीशम वृक्ष स्थित है, जिसके गिरने एवं जनहानि होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्ष को काटने की अनुमति की विहित **प्ररूप ङ** में आवेदित भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्रातंर्गत स्थित होने से वृक्ष कटाई के पूर्व उन्हे सूचित करते हुये प्रबंधन की देखरेख में वृक्ष कटाई किया जाना आवश्यक होगा की शर्त पर जारी किया जावे व सर्वसंबंधितों को प्रति भेजा जावे। तत्पष्चात् मूल प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला–दुर्ग ।।

प्ररूप–ङ

(नियम 7 (2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक / 527 / प्र.02 / अ.वि.अ. / 2025 दुर्ग, दिनांक 11 / 02 / 2025

प्रति,

Fr. Augustine,
Parish St. Vincent De Paul Church,
Add- Padmanabhpur Durg
तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)

विषय :– वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

संदर्भ :– राजस्व प्रकरण क्रमांक 202503100400216 / अ–62 / सन् 2024–25.

.....00.....

विषयांतर्गत आपका पत्र दिनांक **31.01.2025** को इस न्यायालय में प्रेषित किया गया था। राजस्व विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक **11.02.2025** प्राप्त हुआ।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार है:– ग्राम कसारीडीह प.ह.नं. 40 तहसील व जिला दुर्ग खसरा नं. 985 / 5 रकबा 0.0372 भूमि पर चर्च के दीवाल से लगा 01 शीशम वृक्ष स्थित है, जिसके गिरने एवं जनहानि होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्ष को कटाई किया जाना, प्रतिवेदित किया गया है।

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम कसारीडीह प.ह.नं. 40 तहसील व जिला दुर्ग खसरा नं. 985 / 5 रकबा 0.0372 भूमि पर चर्च के दीवाल से लगा 01 शीशम वृक्ष स्थित है, जिसके गिरने एवं जनहानि होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
दुर्ग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 528 / प्र. / अ.वि.अ. / 2025 दुर्ग, दिनांक 11 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
3. तहसीलदार, तहसील, दुर्ग को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
दुर्ग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner